राजस्थान कर्मचारीचयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018

क्रमांक:–प.14(80)RSSB /अर्थना / स.बा.वि.से. / पर्य.(आंगनबाडी) / पार्ट–II / 2018 / 3464 दिनांक : 14/10/2020

कार्यालय आदेश

पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) सीधी भर्ती परीक्षा–2018 के परीक्षा परिणाम के संबंध में

बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक (महिला) (आंगनबाडी कार्यकर्ता कोटा) सीधी भर्ती परीक्षा–2018 परीक्षा दिनांक 03.03.2019 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 22.07.2019 को जारी किया गया था।

बोर्ड द्वारा जारी उक्त परीक्षा परिणाम दिनांक 22.07.2019 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट याचिका सं0 6722 / 2019 में नियत दिनांक 10.01.2020 में हुई बहस को ध्यान में रखते हुए परीक्षा परिणाम दिनांक 22.07.2019 को अधिक्रमित (supersede) करते हुए दिनांक 16.01.2020 को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 16.01.2020 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत डीबी सिविल रिट याचिका सं0 277 / 2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2020 को पारित आदेश में बोर्ड द्वारा जारी प्रथम परीक्षा परिणाम दिनांक 22.07.2019 को यथावत रखते हुए बोर्ड द्वारा जारी संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 16.01.2020 को निरस्त करने के आदेश दिये हैं। अतः डीबी सिविल रिट याचिका सं0 277 / 2020 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 की पालना में बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा के जारी संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 16.01.2020 को निरस्त किया जाता है व बोर्ड द्वारा उक्त परीक्षा के पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 22.07.2019 को यथावत रखा जाता हैं। उक्त परीक्षा का जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 22.07.2019 ही मान्य होगा।

(डॉ0 मुकुट बी0 जांगिड)
सचिव